स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 375, दिनाकः 20—12—2024

मु0अ0सं0 693/2024, थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ के अभियोग में वांछित व अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का सदस्य अनिल बालियान उर्फ बंजी जनपद मेरठ से गिरफ्तार।

दिनांक 20—12—2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद मेरठ, के थाना कंकरखेड़ा मे पंजीकृत मु0अ0सं0 693/2024 धारा 109/3/318/336/338/340 बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट में वांछित एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 01 सदस्य को जनपद मेरठ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी पुत्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सिसौली, थाना भौराकलां, जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी—

1. 01 अदद US RIFLE WINCHESTER .30 बोर कारबाईन
2. 01 अदद मैंगजीन US RIFLE WINCHESTER .30 बोर कारबाईन
3. 15 अदद जिन्दा कारतूस US RIFLE WINCHESTER .30 बोर कारबाईन
4. 01 अदद US RIFLE SPRING FIELD ARMORY .30 बोर
5. 01 अदद पम्प गन रिपीट 12 बोर
6. 1000/— रूपये नगद
7. 02 अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय—

स्थान—दिल्ली—देहरादून बाईपास स्थित कैलाशी हास्पिटल के पास थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ। दिनाक—20—12—2024, समय—11.46, बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में अवैध अस्लाहों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक 23—11—2024 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई मेरठ द्वारा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ क्षेत्र से अन्तर्राज्यीय गैग के सदस्य रोहन पुत्र राकेश कुमार नि0 ग्राम लोहडडा थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत को 05 एसबीबीएल गन 12 बोर व 12 डीबीबीएल गन 12 बोर तथा 700 अदद कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया था।

दिनांक 20—12—2024 को एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ से निरीक्षक सुनील कुमार, के नेतृत्व में उ0नि0 जयवीर सिंह, हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 आकाशदीप, हे0कां0 प्रदीप धनकड, हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह, हे0कां0 रोमिश तोमर एंव हे0कां0/चालक विनय कुमार की टीम अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मेरठ क्षेत्र में मामूर थी, इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक अन्तर्राज्यीय अवैध शस्त्र

गिरोह का मुख्य सदस्य एवं थाना कंकरखेडा के मु0अ0सं0 693/2024 में वांछित अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी दिल्ली–देहरादून बाईपास पर कैलाशी हास्पिटल के पास मौजूद है तथा दिल्ली भागने की फिराक में है, यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उसके द्वारा बताये गये स्थान की तरफ चल दिये तो मुखबिर द्वारा दिल्ली देहरादून मेरठ बाईपास पर कैलाशी हास्पिटल से करीब 100 मीटर पहले गाडी रूकवाकर बताया कि कैलाशी हास्पिटल के पास काली जैकेट पहने जो व्यक्ति खडा है वही अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी है, और मुखबिर चला गया। तत्पश्चात एसटीएफ टीम ने अपनी गाडी को सडक के साईड में लगाकर नीचे उतरकर मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति को हिरासत में लेकर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी उपरोक्त बताया, जिसको गिरफ्तार करते हुए उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी। बरामद हथियारों के बारे में अभियुक्त द्वारा बताया कि उसके पास इन हथियारों के लाईसेंस है, जिनकी जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी पूछताछ पर निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

- उपरोक्त अभियुक्त वर्ष 1989 में एयरफोर्स मे भर्ती हुआ था और वर्ष 2009 में वीआरएस लेकर वापस आ गया था।
- नौकरी से वीआरएस लेने के बाद अवैध अस्लाहों की तस्करी का कार्य करने लगा एंव रोहित पुत्र शीशपाल निवासी मंगलोरा करनाल हरियाणा, कुर्बान व रिहान निवासी गण खुर्जा बुलन्दशहर तथा शारिक पुत्र गुडडू लिसाडी गेट निवासी मेरठ से अवैध शस्त्र खरीदता है।
- रोहित पुत्र शीशपाल निवासी मंगलोरा करनाल हरियाणा उपरोक्त का भाई राहुल आर्मी मे था जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये बार्डर पर पिस्टल मंगाता था एंव लारेन्स बिश्नाई, नीरज बबाना व अन्य गैंगों को सप्लाई करता था। राहुल वर्तमान में पंजाब जेल में बन्द है।
- कुर्बान निवासी खुर्जा उपरोक्त के लडके सावेज को एनआईए के द्वारा अवैध अस्लाह (Illegal Arms) सप्लाई करने के मामलें में गिर0 किया गया था, जो वर्तमान में जेल में निरूद्ध है।
- गिर0 अभियुक्त अपने साथी रोहित, कुर्बान, रिहान एंव शारिक उपरोक्त से प्रति पिस्टल 3,50,000/– रूपये में खरीदता है और अपने साथी रोहन पुत्र राकेश नि0 लोहडडा थाना बडौत, बागपत व रवि नि0 गुराना, बागपत के साथ मिलकर 4,50,000/–रूपये में बेचता है।
- गिर0 अभियुक्त विकास नि0 भदोडा (जो सुशील फौजी गैंग के लिए काम करता हैं) तथा गुरूग्राम हरियाणा के सनी गैंग आदि को भी अवैध शस्त्रों की सप्लाई करता है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त गिर0 अभियुक्त ने अपने उपरोक्त साथियों के साथ मिलकर आजाद पुत्र धर्मबीर नि0 दादूपुर दनकौर गौतमबुद्धनगर, अमर उर्फ अवध बिहारी नि0 दादूपुर दनकौर गौतमबुद्धनगर, कपिल प्रधान उर्फ ताउ नि0 गुराना, बन्टी सलारपुर थाना गंगानगर मेरठ, सुधीर प्रधान नि0 वाजिदपुर, मोन्टी उर्फ निखिल पुत्र सूरजभान उर्फ सूरज नि0 दीनपुर नजबगढ निकट गोला डेरी चौपला दिल्ली, राजीव निवासी लोहडडा, नितिन दीक्षित नि0 लोहडडा, अमरपाल पुत्र रघुवीर सिंह नि0 लालूखेडी थाना तितावी जनपद मु0नगर, अक्षय नि0 जोहडी भटटे वाला, सोनी राठी पुत्र बिजेन्द्र निवासी बिजवाडा हाल पता ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, अशोक मारवाडी नि0 डिफेन्स कालोनी कंकरखेडा एंव रिहान निवासी हापुड को भी अवैध शस्त्रों की सप्लाई की गयी है।
- गिर0 अभियुक्त पुराना अस्लाह तस्कर हैं, जिससे जनपद शामली पुलिस द्वारा पूर्व में ए0के0–47 राईफल भी बरामद की गयी थी।
- गिर0 अभियुक्त एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी मेरठ के एक डीन की हत्या के प्रयास की घटना में भी जेल जा चुका हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 693/2024 धारा 109/3/318/336/338/340 बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट में दाखिल किया गया जो पूर्व से पंजीकृत हैं। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी का ज्ञात अपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	132/2022	7/27 आर्म्स एक्ट	थानाभवन	शामली
2	145/2022	7/27 आर्म्स एक्ट	थानाभवन	शामली
3	210/2022	2/3 गैगस्टर एक्ट	दौराला	मेरठ
4	89/2024	307 भादवि	दौराला	मेरठ
5	693/2024	109/3/318/336/338/340 बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट	कंकरखेडा	मेरठ